जाति मुसलमान निवासी सोजतीगेट के अन्दर मेडती सिलावटान जोधपुर
1–5 श्रीमति साजिदा पत्नि श्री मोहम्मद आरिफ
जाति मुसलमान निवासी सरदारपुरा जोधपुर
1–6 श्रीमति सहिदा पत्नि श्री मोहमाद अयूब
जाति मुसलमान निवासी फनवर्ड के सामने पठान कोर्ट जोधपुर
1–7 मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहमद यूनूस
जाति मुसलमान निवासी सोजतीगेट जोध्धुर
1–8 श्रीमति माजिदा पतिन श्री मोहम्मद खालिद
जाति मुसलमान निवासी दस दुकान के पीछे चोपासनी रोड जोधपुर
1–9 श्री मति रिजवाना पत्नि श्री मोहम्मद शोकत
जाति मुसलमान निवासी अंधो की स्कुल के पीछे कमला नेहरू नगर जोधपुर।
1–10 श्रीमति निशात पत्नि श्री मोहम्मद साबिज
जति मुलसमान निवासी डॉ जाकिर हुसेन कॉलोनी पाचवी रोड जोधपुर

—: ब ना म :—

प्रतिवादीगण :—

1 अब्दुल गफार पुत्र श्री लाल खा
2 अब्दुल अजीज पुत्र श्री लालखा
जाति मुसलमान निवासी मथानिया
3 राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार तिवंरी ।

उपस्थिति –

1 श्री दिनेश मदेरणा, अधिवक्ता वादीनी ।
2 श्री चन्दनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

**वाद अन्तर्गत धारा 88,188, आर.टी.एक्ट. 1955**

**– निर्णय –** **दिंनाक –** 5/3/21

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मथानिया के खसरा नम्बर 479 रकबा 1 बीस्वा गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 480 रकबा 9 बीस्वा, गै.मु.ढाणी. खसरा नम्बर 481 रकबा 41 बीघा 1 बीस्वा कुल रकबा 41 बीघा 11 बीस्वा भूमि वादीनी के पिता स्व. श्री गजधर अब्दुल रहमान जी पुत्र श्री इलाही बक्ष को पूर्व दरबार श्री हनवन्तसिंह जी ने दी थी तथा बर वक्त सेटलमेन्ट भी वादीनी के पिता स्व. श्री अब्दुल रहमान जी के कब्जे काश्त मे थी

सहायक कलक्टर, ओसियाँ

Scanned with CamScanner

अतः वादीनी के पिता के नाम पट्टा सेटलमेन्ट द्वारा जारी किया गया तथा खतौनी मिसल बन्दोबस्त मे वादीन के पिता श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री ईलाहीबक्ष जी के नाम दर्ज किया गया । इस प्रकार उपरोक्त भूमि के एक मात्र खातेदार वादीनी के पिता स्व. श्री अब्दुल रहमान जी थे । वादीनी के पिता स्व. श्री अब्दुल रहमान जी के दो पुत्रीया व तीन पुत्र हुए लेकिन सर्व श्री अब्दुल रहमान जी ने अपने जीते जी वादीनी की सेवा चाकरी से खुश होकर वादग्रस्त भूमि को अकेली वादीनी के पक्ष मे दिंनाक 12.5.1955 को हिबा लिखित मे तकमील कर दिया तथा हिबा की लिखित के समय जनबा मोलवी अब्दुल कयुम उम्र 86 वर्ष व जनाब अब्दुल रहीम मिस्त्री उम्र 84 वर्ष मौजुद थे तथा हिबा प्रतिवादीगण के पिता श्री लाल खा की उपस्थिति मे हुई इस प्रकार उक्त हिबा की जानकारी प्रारम्भ से ही श्री लाल खा को थी चूकि मुस्लिम विधि मे मोखिक हिबा भी मान्य है इस लिए उक्त तथा कथित दस्तावेज हिबा के पंजीयन की आवश्यकता नही होती है । इस प्रकार वादीनी के पक्ष मे दिंनाक 12.5.1955 को लिखा गया हिबानामा पंजीयन नही करवाया । हिबानामा बिना प्रतिफल के किया गया । दिंनाक 12.5.1955 को वादीनी के पक्ष मे लिखे गये हिबानामे के आधार पर अकेली वादीनी उक्त वादग्रस्त भूमि की मालिक व खातेदार हो चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र वादीनी का कब्जा काश्त है । वादीनी के पिता स्व श्री अब्दुल रहमान जी ने अपने जीते जी कभी भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा इनके पिता श्री लाल खा जी अथवा प्रतिवादीगण की माता श्रीमति जेना को भूमि का हस्तान्तरण बेचान या बख्सीस कभी नही किया उसके बावजूद प्रतिवादीगण के पिता लाल खा पुत्र श्री इलाही बक्ष ने राजस्व कर्मचारियो से मिल कर गैर कानूनी तरीके से वादीनी के पिता श्री अब्दुल रहमान जी जिनके पिता का नाम भी इलाही बक्ष का फायदा उठाते हुए उनका पुत्र बन कर उक्त वादग्रस्त भूमि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवा ली । जब कि लाल खा जी तेली है तथा लाल खा जी के इन्तेकाल के बाद प्रतिवादीगण अपने नाम म्यूटेशन भरवा कर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवा ली जो सरासर गलत दर्ज की गई है । अतः वादीनी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित करने हेतु तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड से नाम हटाने हेतु यह वाद पेश किया है । वादीनी जोधपुर शहर मे रहती है तथा औरत होने से वादग्रस्त भूमि मे उपज लेने तथा काश्त करने मे दिक्कत आती है इसलिए वादग्रस्त भूमि मे काश्त करने तथा फसल की देखभाल करने व पेदावर को हासिल करने के लिए प्रतिवादीगण को पिता को वादग्रस्त भूमि पर खेती कर जो भी उपज होती उसे बेच चकर जो भी लाभ होता उसका आपसी समझाईस से हिस्सा वादीनी के हर वर्ष देते । वादीनी को कोई लालच नही होने से कभी कोई हिसाब नही रखा तथा विश्वास के आधार पर लाल खा जो लाभ देते वह ले लेती । यह सिलसिला लाल खा की मृत्यु होने के बाद भी प्रतिवादीगण व लाल खा की पत्नि श्रीमति जेना के साथ चलता रहा था । वादीनी व वादीनी का परिवार भी विदित आराजी पर सार संम्भाल हेतु चले जाते थे । वादीनी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है । वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिंनाक 10.3.2007 को जब वादीनी वादग्रस्त भूमि की देख रेख करने गई तब ऐलानिया धमकी दी कि वो वादीनी को वादग्रस्त भूमि पर काश्त नही करने देगे तथा वादीनी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगे व वादग्रस्त भूमि का बेचान दिगर व्यक्ति को कर देगे इस कारण वादीनी वादग्रस्त भूमि की घोषणा व प्रतिवादीगण के खिलाफ यह स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश कर रही है वगैरा वगैरा ....

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया । प्रतिवादीगण के समन तामील सुदा प्राप्त हुए । प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी द्वारा वकालत नामा व जबाब दावा पेश किये गये थे । जिसमे बताया कि वक्त सैटलमेंट वादग्रस्त भूमि वादीनी के पिता के कब्जे काश्त मे नहीं थी, बल्कि प्रतिवादीगण के पिता लालखां के कब्जे काश्त की थी। वक्त सैटलमेंट पर्चा लगान खतौनी बन्दोबस्त अब्दुल रहमान पुत्र इलाहीबक्ष के नाम से गलत बन गया था, जिसकी जानकारी

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के पिता को होने पर सैटलमेंट अधिकारी के समक्ष अपना उजर एंतराज पेश किया, जिस पर मिसल नम्बर 966 दिनांक 14.2.1957 कायम की जाकर दोनों पक्षों को सुनकर के ए.आर.ओ. ओसियां ने अपने आदेश दिनांक 11.4.57 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में अब्दुल रहमान का खुद काश्त खारिज करके लालखां को खातेदार दर्ज किया जाकर खुद काश्त का पर्चा लगान खारिज करके नया पर्चा लगान तैयार किया गया था। जिस आदेश की अब्दुल रहमान ने आगे कोई अपील रिविजन नहीं की थी वह आदेश अन्तिम था, जो आज तक यथावत है। वादीनी ने अपने वाद के साथ जो पर्चा लगान पेश किया है वह सक्षम अधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है, जिससे वादीनी को कोई सहायता व लाभ नहीं मिल सकता है। इस कारण से वादग्रस्त भूमि के अब्दुल रहमान खातेदार नहीं रहे तथा प्रतिवादीगण के पिता लालखां खातेदार व काबिज रहे जो आज तक कब्जा काश्त व खातेदारी यथावत चली आ रही है। वादीनी के पिता के पुत्रीयों व पुत्रों की प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीनी को कभी नहीं देखा और न ही उसे पहचानते है। और न ही वादीनी प्रतिवादीगण को पहचानती है। दिनांक 12.5.1955 को हिबा (दान) लिखने की बात गलत है, जब वादग्रस्त भूमि अब्दुल रहमान की थी ही नही और उसका कब्जा काश्त ही नहीं था तो हिबा (दान) लिखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा दान रजिस्टर्ड नहीं है। यह भी बात मानने योग्य नहीं है कि दान सन् 1955 में लिखा गया व दावे रोज तक वादीनी ने दान के अनुसार भूमि अपने नाम से दर्ज नहीं करवाई। वादीनी के नाम से आज तक कोई गिरदावरी नहीं है वादीनी ने वादग्रस्त भूमि का कभी कोई लगान भी अदा नहीं किया है तो वादीनी वादग्रस्त भूमि की मालिक व खातेदार किस प्रकार से हुई है,कतई मानने योग्य नहीं है।, वक्त सैटठलमेंट ए.आर.ओ. ने अपने आदेश दिनांक 11.4.57 के द्वारा प्रतिवादीगण के पिता लालखां के नाम से पर्चा लगान जारी किया था जो आज तक यथावत है वादीनी या अब्दुल रहमान ने उक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील रिवीजन नहीं की थी आदेश अंतिम है। प्रतिवादीगण के पिता लालखां ने राजस्व कर्मचारियों से मिल करके अपने नाम दर्ज नहीं करवाया बल्कि नियमानुसार मिसल कायम की जाकर के पूर्ण जांच व सुनवाई करके दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूत लेकर के ए.आर.आर., ओसियां ने अपने आदेश दिनांक 11.4.57 के द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी किया था जो वैद्य है व अंतिम है। अब्दुल रहमान के पिता का नाम इलाहीबक्ष होने का गलत फायदा उठाकर इलहीबक्ष का पुत्र लालखां बनकर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज कराने की बात गलत है, बल्कि बिलकुल सही वल्दियत व सकुनत के व कब्जे काष्त के आधार पर खातेदारी दी गई है। वादीनी ने वल्दियत का गलत भ्रम पैदा करने की कोशिष की है। वादीनी बादग्रस्त भूमि अपने नाम से घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण का नाम हटाने की अधिकारीणी नहीं है। वादीनी कहां रहती है,? प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं है। वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के पिता को वादग्रस्त भूमिको काश्त पर देने व उसकी उपज का हिस्सा वादीनी को देने की बात सफेद झूठ है। वादीनी ने ऐसा कोई लिखत या दस्तावेज, रसीद पेष नहीं किया है। वादीनी का यह कथन सत्यता से हजारों कोस दूर है। वादीनी या उसके परिवार का कोई सदस्य को विवादित आराजी पर सार संभाल हेतु आते जाते नहीं देखा। वादीनी के पुत्र मोहम्मद आरिफ दिनांक 2.8.2006 को वादग्रस्त भूमि पर नहीं आया था, प्रतिवादीगण से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी। वादीनी की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की कोई कृषि आय है ही नही तो देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लालखां की नियत बिलकुल साफ व नेक है। वादीनी की नियत खराब है इस कारण से यह झूठा व गलत दावा किया है, लालखां के प्रतिवादीगण विधिक उत्तराधिकारी है इस कारण से लालखां के बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना स्वाभाविक है। वादीनी को यह जानकारी शुरू से ही थी। हीबानामा फर्जी व बनावटी है। प्रतिवादीगण या उनके पिता वादीनी के कभी कृषक नहीं रहे थे, राजस्व रेकर्ड में लालखां ने धोखे से रेवेन्यू विभाग से मिलकर अपने नाम से आराजी दर्ज नहीं करवाई थी, बल्कि हक

सहायक कलेक्टर, ओसियां

हिस्से व कब्जे काष्त के अनुसार दर्ज हुई थी। जो बिलकुल सही है। वादीनी वादग्रस्त भूमि की मालकिन नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीनी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी किसी प्रकार से कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा व का"त है। वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ खाई, पाली, तारबन्दी कदीमी प्रतिवादीगण द्वारा बनाई हुई है। प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि में नलकूप बने हुए है, नलकूप पर प्रतिवादीगण के नाम से विद्युत संबंध लिया हुआ है, मशीनघर बना हुआ है।, पुरानी दो साले एक रिहायसी मकान बना हुआ है। काश्तकारों के लिए दो क्वार्टर बने हुए है, जिनमें वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा चारा भरा हुआ है। जो सभी प्रतिवादीगण के है। वाग्रस्त भूमि के अन्दर अन्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन प्रतिवादीगण द्वारा डाली हुई है। जाव में पक्के खण्डों से पानी के धोरे बनाये हुए है। तथा दो बड़े हौद पानी के लिए बनाये हुए है। वादग्रस्त भूमि में सभी प्रकार का सम्पूर्ण निर्माण कार्य प्रतिवादीगण के द्वारा करवाया हुआ है। वादीनी का कोई निर्माण नहीं है। यहां पर यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि प्रतिवादीगण ने आज से 10 (दस) वर्ष पूर्व पंजाब नेशनल बैंक, जोधपुर से उक्त भूमि पर ट्रेक्टर का ऋण लिया था तथा वादग्रस्त भूमि उक्त बैंक के रहन रही थी। पिछले 10 (दस) वर्षों से वादग्रस्त भूमि यूको बैंक मथानिया के रहन है तथा अप्रार्थीगण के नाम से किसान केडिट कार्ड बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि वादग्रस्त भूमि का वक्त सैटलमेंट के बाद से आज तक प्रतिवादीगण के अधिकार आधिपत्य, खातेदारी व उपयोग उपभोग में रही है। वादीनी का कभी किसी प्रकार से कब्जा व खातेदारी नहीं रही है तथाकथित हीबानामा से वादीनी को उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। दिनांक 10.3.2007 को वादीनी वादग्रस्त भूमि पर नहीं आई थी। वादीनी वादग्रस्त भूमि जानती तक नहीं है वह कभी नहीं आई। वादग्रस्त भूमि का लगान प्रतिवादीगण वक्त सैटलमेंट से लेकर आज तक अदा करते आ रहे है।

वाद पत्र व जबाब दावा के अनुसार कुल 11 विवाद्यक कायम किये गये । साक्ष्य वादी मे वादी द्वारा पी.डब्ल्यू –1 श्रीमति जुबेदा , पी.डब्ल्यू –2 अब्दुल रहीम, पी.डब्ल्यू –3 मोहम्मद आरीफ, के मोखिक बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदश–1 रिफयूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड 1954 पाकिस्तान सरकार प्रदर्श–2 चीफ ऑफिसर कराची के पत्र की फोटो प्रति , प्रदर्श–3 चीफ इन्जिनियर कराची के पत्र क फोटो प्रति ,प्रदर्श–4 डोमिसियल सर्टिफिकेट की फोटो प्रति , प्रदर्श–5 हिबानामा की फोटो प्रति , प्रदर्श–6 पर्चा खतोनी की अस्पष्ट प्रति, करवाये गये ।

प्रतिवादी ने अपनी मोखिक साक्ष्य मे डी. डब्ल्यू – 1 अब्दुल अजीज, डी. डब्ल्यू–2 छोगाराम, डी. डब्ल्यू–3 चुन्नीलाल, डी.डब्ल्यू–4 रहजान के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श– डी.–1 पर्चा लगान की फोटो प्रति, प्रदर्श डी–2 पासबुक की फोटो प्रति, गिरदावरी पचीर्यो की फोटो प्रतिये, प्रदर्श–3 से प्रदर्श–7 तक लगान की रसीदे , प्रदर्श– डी. –8 से प्रदर्श–डी 19 तक तहसीलदार औसिया द्वारा लाल खां को दिये गये नोटिस की फोटो प्रतिये प्रदर्श– डी–22 तक प्रदर्शित करवाये गये ।

दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की जुबानी बहस सुनी गई तथा दोनो पक्षो की तरफ से लिखित बहस पेश की गई जिनका बारिकी से अध्यन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।वादीनी के अधिवक्ता ने तथा प्रतिवादीगण ने नजीरो की फोटो प्रतिये पेश की जिनका सम्मान अवलोकन किया गया

पत्रावली के अध्यन व बहस के मनन के बाद हमारा तनकीवाईज विनिश्चय निम्न प्रकार है–

**तनकी संख्या –1** आया वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादीनी के पिता के नाम से खातेदारी व कब्जे काश्त की थी ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीनी पर था । वादीनी ने कोई इस सम्बन्ध मे जमाबन्दी, गिरदारी ,लगान की रसीदे, आदि कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नही किया है और न ही प्रदर्शित करवाया है । गवाह पी.डब्ल्यू–3 ने सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट का पर्चा प्रदर्श–6

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

प्रदर्शित करवाया है किन्तु प्रदर्श–6 जो अस्पष्ट दिखाई देता है इसके अलावा सेटलमेन्ट के समय जो पर्चा लगान वादीनी के पिता के नाम से जारी किया गया था वह प्रदर्श–डी –1 के अनुसार तत्कालीन ए आर ओ औसिया द्वारा दिंनाक 11.4.1957 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी वादीनी द्वारा कोई अपील करना नही पाया गया है तथा उसके स्थान पर प्रतिवादीगण के पिता लाल खा के नाम पर्चा जारी कर दिया गया जो आज तक यथावत है इसके अलावा वादीनी ने अपनी जिरह मे कहा कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर व रकबा क्या है मुझे ध्यान नही है । मेरे पिता जी पाकिस्तान कब गये मुझे तारीख व सन् याद नही है। मै कंवारी थी तब वादग्रस्त भूमि पर गई थी । शादी के बाद नही गई 14 वर्ष की उम्र मे मेरी शादी हुई थी । पी.डब्ल्यू –2 अब्दुल रसीद ने भी इस तरकी को साबित करने के लिए कोई गवाही नही दी है । पी.डब्ल्यू–3 मोहम्मद आरीफ ने भी अपनी जिरह मे कि मेरे नाना का कब्जा काश्त होने की बात मुझे मेरी माता ने बताई जब कि उसकी माता ने ऐसी कोई बात नही बताई है जिससे यह तनकी साबित होती हो । दूसरी तरफ प्रतिवादी के पक्ष मे सेटलमेन्ट से लेकर आज तक जमाबन्दी, गिरदावरी, लगान रसीदे आदि दस्तावेजी सबूत है जिसे मोखिक साक्ष्य से नकारा नही जा सकता । इस प्रकार से वादीनी उक्त तनकी को मोखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही कर पाई है इसलिए तनकी संख्या एक वादीनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

**तनकी संख्या –2** आया वादग्रस्त भूमि का उसके पिता ने दिंनाक 12.5.1955 को हिबा (दान) कर दिया था तब से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त वादीनी का है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीनी पर था । वादीनी ने उर्दु मे लिखा हुआ हिबानामा प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाया है जिसके हिन्दी अनुवाद के अनुसार प्रदर्श–5 पर केवल मात्र अब्दुल रहमान के हस्ताक्षर है इसके अलावा वादीनी के खुद के स्वीकृति के हस्ताक्षर नही है और न ही किसी मोतबीर गवाह के हस्ताक्षर है इसके अलावा उक्त हिबानामा न तो रजिर्स्टड है और न ही किसी नॉटेरी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रमाणित है । ई.एक्स–5 मे वादग्रस्त भूमि का हिबा कर्ता द्वारा कब्जा देना व हिबाग्रहीता द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त करना का भी उल्लेख नही है । मुस्लिम विधि के अनुसार वैध हिबानामा के लिए तीन मुख्य शर्ते बताई गई है जिसके अनुसार 1–दाता की देने की इच्छा का व्यक्त होना ,–2–दान की स्वीकृति , 3–हिबा की विषयवस्तु का कब्जा आदाता को देना, इन शर्तो मे से किसी भी शर्तो का पूर्ण न होने पर दान मान्य न होगा । मुस्लिम विधि मे हिबा के मामले मे कब्जे का परिधान आवश्यक शर्त है इस कारण कब्जे का परिधान वास्तविक होना चाहिये, मात्र हिबानामा मे लिखना ही प्रर्याप्त नही है। यदि हिबानामा मे कब्जे का परिधान लिखा गया हो किन्तु मौके पर कब्जा न दिया गया हो तो ऐसा हिबा वैध नही होगा । यह मत इलाहबाद हाईकोर्ट ने सन् 1972 वी.री.125 मे अपना मत व्यक्त किया है इस प्रकरण मे मोखिक साक्ष्य से व दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि का कब्जे का परिधान कतई साबित नही होता है । वादीनी पी.डब्ल्यू–1 ने अपनी जिरह मे यह कहा है कि मुझे मालूम नही की वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से है । वादग्रस्त भूमि मे बेरे व नलकूप प्रतिवादीगण के नाम से कनेक्शन हो तो मुझे पता नही । मै कंवारी थी तब वादग्रस्त भूमि पर गई थी उस समय 14 वर्ष की थी । शादी होने के बाद नही गई । इस प्रकार से वादीनी के जिरह से वह दस्तावेजी सबूत से यह तनकी वादीनी के पक्ष मे साबित व प्रमाणित नही होती है इसलिए यह तनकी वादीनी के खिलाफ निर्णित की जाती है ।

**तनकी संख्या –3** आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण राजस्व कर्मचारियो से मिल कर अपने नाम से करवाई जिसे अपने नाम से घोषित करवाने की अधिकारीणी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीनी पर था । वादीनी ने ऐसा कथन न तो अपने बयान मे किया है ,न ही ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है इसके विपरित प्रतिवादीगण की तरफ से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श डी.–1 के अनुसार जरिये मिसल नम्बर 966

Scanned with CamScanner

दिनांक 14.2.1957 ए आर ओ औसिया के आदेश दिनांक के अनुसार खसरा नम्बर 481/479,480 मे अब्दुल रहमान का खुद काश्त खारिज करके लाल खा का दर्ज किया जावे। खुद काश्त का पर्चा लगान खारिज करके यह नया पर्चा लगान तैयार किया गया । इससे स्पष्ट है कि ए आर ओ द्वारा विधि पूर्वक राजस्व रेकर्ड मे ईन्द्राज किया गया है जो करीबन 60 वर्ष पूराना आदेश दस्तावेज है जिसे नही मानने का कोई कारण नही है इसके अलावा वादीनी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे व मौके पर कब्जे काश्त से सम्बन्धित कोई दस्तावेज व साक्ष्य नही है । वादीनी के अलावा जो दो गवाह पेश हुए है उनमे से एक वादीनी का भाई है व दूसरा वादीनी का पुत्र है जो जोधपुर शहर के निवासी है । ग्राम मथानिया का कोई स्थानिय निवासी या वादग्रस्त भूमि का कोई पडौसी गवाह वादीनी की तरफ से कोइ पेश नही हुआ है जो उनके कब्जे काश्त की ताईद करता हो । वादीनी के दोनो गवाह उसके निकट रिस्तेदार है कोई निष्पक्ष गवाह पेश नही हुआ है इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे व निष्पक्ष गवाह के अभाव मे वादीनी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है । वादीनी अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य से इस तनकी को साबित नही कर पाई हे इसलिए यह तनकी वादीनी के खिलाफ निर्णित की जाती है ।

**तनकी संख्या –4** आया वादग्रस्त भूमि वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण को काश्त पर दी हुई थी तथा प्रतिवादी वादीनी को उक्त भूमि का लाभ व हिस्सा देता था ?

यह तनकी वादीनी के जिम्मे थी । वादीनी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य काश्त का इकरारनामा, लिखित ,रसीद, आदि पेश नही की है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि वादीनी ने प्रतिवादी को लाभ व हिस्से पर दी हो । इसके विपरित प्रतिवादीगण ने सेटलमेन्ट से लेकर आज तक का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी, गिरदावरी , लगान की रसीदे आदि प्रदर्शित करवाए है जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार व काबिज काश्त थे । वादीनी से हिस्से या बट्टे पर ली हुई नही थी इस प्रकार से यह तनकी वादीनी अपने पक्ष मे साबित नही कर पाई है । अतः यह तनकी वादीनी के खिलाफ निर्णित की जाती है ।

**तनकी संख्या–5** आया वादीनी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीण है ?

यह तनकी वादीनी के जिम्मे थी । चूकि तनकी संख्या 1 से 4 वादीनी के खिलाफ निर्णित की जा चूकी है इसलिए उक्त तनकीयात के परिपेक्ष मे यह तनकी वादीनी के खिलाफ व प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है ।

**तनकी संख्या –6** आया वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान वादीनी के पिता के नाम से गलत बन गया था जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादीगण के पिता ने सेटलमेन्ट अधिकारी के समक्ष उजर ऐतराज पेश किया जिस पर ए आर औ औसिया ने अब्दुल रहमान का पर्चा खारिज करके लाल खा के नाम से नया पर्चा जारी किया था ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था । प्रतिवादीगण ने प्रदर्श–डी–1 से यह बखुबी साबित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ए आर ओ के समक्ष उजर ऐतराज करने पर मिसल कायम करके बाद सुनवाई विधि अनुसार अब्दुल रहमान का पर्चा खारिज करके लाल खा के नाम से नया पर्चा जारी किया गया था जो आदेश व निर्णय यथावत है तथा आज दिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है ।

**तनकी संख्या –7** आया वादग्रस्त भूमि पर पर वक्त सेटलमेन्ट कब्जा व काश्त लाल खा का था तथा आज दिन प्रतिवादीगण का है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था । वादग्रस्त भूमि का कब्जा सेटलमेन्ट से लाल खा का था । प्रतिवादीगण ने प्रदर्श–डी–1 के बयान से साबित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ए आर ओ के समक्ष उजर ऐतराज करने पर मिसल कायम

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned with CamScanner

करके बाद सुनवाई विधि अनुसार अब्दुल रहमान का पर्चा खारिज करके लाल खा के नाम से नया पर्चा जारी किया गया था जो आदेश व निर्णय यथावत है तथा आज दिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है ।

**तनकी संख्या –8** आया वादग्रस्त भूमि का हिबा वादीनी के पक्ष मे रजिस्टर्ड नही है जो बनावटी व फर्जी है । वादीनी के नाम से कोई गिरदावरी व लगान की रसीदे भी नही है ?

इस तरकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । तनकी संख्या 2 जो वादीनी के पक्ष मे साबित नही कर पाई जिससे भी स्पष्ट साबित है वादीनी ने उर्दु मे लिखा हुआ हिबानामा प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाया है जिसके हिन्दी अनुवाद के अनुसार प्रदर्श–5 पर केवल मात्र अब्दुल रहमान के हस्ताक्षर है इसके अलावा वादीनी के खुद के स्वीकृति के हस्ताक्षर नही है और न ही किसी मोतबीर गवाह के हस्ताक्षर है इसके अलावा उक्त हिबानामा न तो रजिर्स्टड है और न ही किसी नॉटेरी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रमाणित है । ई.एक्स–5 मे वादग्रस्त भूमि का हिबा कर्ता द्वारा कब्जा देना व हिबाग्रहीता द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त करना का भी उल्लेख नही है । मुस्लिम विधि के अनुसार वैध हिबानामा के लिए तीन मुख्य शर्ते बताई गई है जिसके अनुसार 1–दाता की देने की इच्छा का व्यक्त होना ,–2–दान की स्वीकृति , 3–हिबा की विषयवस्तु का कब्जा आदाता को देना, इन शर्तो मे से किसी भी शर्तो का पूर्ण न होने पर दान मान्य न होगा इसलिए हिबानामा बनावटी व फर्जी है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है ।

**तनकी सख्या –9** आया वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण के रिहायसी मकान, काश्तकारो के क्वाटर ,मशीनघर नलकूप पानी का होद बने हुए है । नलकूप पर प्रतिवादीगण के नाम विधुत सम्बन्ध है जिनके बिलो का भुगतान प्रतिवादीगण करते आ रहे है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । प्रतिवादीगण ने डी. डब्ल्यू – 1 अब्दुल अजीज, डी. डब्ल्यू–2 छोगाराम, डी. डब्ल्यू–3 चुन्नीलाल, डी.डब्ल्यू–4 रहजान के बयान करवाये गये जो सभी स्थानिय, अलग अलग जाति के पडौसी व्यक्ति है जो स्वतन्त्र गवाह है जिनके बयानो मे वादग्रस्त भूमि मेब ने रिहायसी मकान, काश्तकारो के क्वाटर, नलकूप, होद होने की बात कही जिससे साबित किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदश– डी.–1 पर्चा लगान की फोटो प्रति, प्रदर्श डी–2 पासबुक की फोटो प्रति, गिरदावरी पचीर्यो की फोटो प्रतिये, प्रदर्श–3 से प्रदर्श–7 तक लगान की रसीदे , प्रदर्श– डी. –8 से प्रदर्श–डी 19 तक तहसीलदार औसिया द्वारा लाल खां को दिये गये नोटिस की फोटो प्रतिये, प्रदर्श– डी–22 तक प्रदर्शित करवाये गये । इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित है

**तनकी संख्या –10** आया प्रतिवादी ने 10 वर्ष पूर्व पंजाब नेशनल बैक जोधपुर से उक्त भूमि पर टेक्टर का त्रण लिया था तथावर्तमान मे प्रतिवादीगण द्वारा यूको बैक मथानिया मे रहन रखी हुई है तथा अप्रार्थीगण के नाम से किसान केडिट कार्ड बना हुआ है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–डी–2 बैक पासबुक से साबित किया है कि उक्त भूमि पंजाब नेशलन बैक जोधपुर से टेक्टर ऋण लिया था तथा वर्तमान मै बैक के पक्ष मे रहन दर्ज है जो जमाबन्दी मे भी रहन का म्यूटेशन दर्ज है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित है ।

उक्त प्रकार से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का विवेचन व विश्लेषण करते हुए तनकीवार हमारा निष्कर्ष है कि वादीगण अपने जुमे की तनकी संख्या 1 व 5 को साबित व प्रमाणित नही कर पाये है तथा प्रतिवादीगण ने अपने जुमे की तनकी संख्या 6 से 10 जो सक्षम साक्ष्य व

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित व साबित किया है इसलिए वादीनी का वाद अस्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर तदनुसार डिक्री पर्चा .जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।

सहायक कलक्टर, ओसिया

निर्णय आज दिनांक 5/3/21 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner